

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 400/2026

In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 453/2026

1. Tarachand @ Ramu S/o Komal Singh, R/o Vijay Nagar Colony, Near Saras Chauraha Police Station Mathura Gate District Bharatpur
2. Hemu @ Hemant S/o Peetam Singh, R/o Ucha Nagla, Police Station Chiksana District Bahratpur
3. Rakesh S/o Komal Singh, R/o Vijay Nagar, Bharatpur Haal Uncha Nagla, Police Station Chiksana, District Bharapur.
4. Pawan Saini S/o Jeetendra @ Jeetu, R/o Mathura Gate, Police Station Mathura Gate, District Bharatpur

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Anubhav Gupta Mr. Anurag Chahar
For Respondent(s)	: Mr. Jaiprakash Tiwari, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI
Order

27/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय-सेशन न्यायाधीश, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-72/2024 राजस्थान राज्य बनाम ताराचंद उर्फ रामू व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 31.01.2026 के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि दौराने विचारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर आजाद रहे हैं, विचारण न्यायालय द्वारा उनकी सजा एक माह के लिए स्थगित की गई है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों—परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रुपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **27.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. ताराचंद उर्फ रामू पुत्र कोमलसिंह, 2. हेमू उर्फ हेमन्त पुत्र पीतमसिंह, 3. राकेश पुत्र कोमल सिंह, 4. पवन सैनी पुत्र जीतेन्द्र उर्फ जीतू** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J